

पत्रांक-3/वि. 1-62/2015.....767/

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

प्रेषक,

तारानन्द महतो वियोगी,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.),

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-24/3/2017

विषय:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-254, दिनांक 05.09.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध करायी गयी राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयके संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-254, दिनांक 05.09.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान को स्वीकृत राशि ₹ 16,75,450/- (सोलह लाख पचहत्तर हजार चार सौ पचास रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस व्यय का विकलन योजना बजट शीर्ष "2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-104-खेलकूद-0102-खेलकूद-2003-प्रशिक्षण व्यय", विपत्र कोड-पी. 2204001040102, मांग संख्या-08 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा।

3. राशि की निकासी जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा जिला कोषागार, सिवान से की जायेगी।

4. राशि की अग्रिम निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक 17.04.98 की कंडिका-15 को शिथिल करने के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(तारानन्द महतो वियोगी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक767/

पटना, दिनांक 24/3/2017

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक767/

पटना, दिनांक 24/3/2017

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक767/

पटना, दिनांक 24/3/2017

प्रतिलिपि :- निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 3/बजट सहायक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/जिला खेल पदाधिकार, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।